फर्द अहकाम

न्यायालय

हीरा मल बनाम मनोज नमित

मुकदमा संख्या /वर्ष 6/2015 : /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप० वास्ते बहस हेतु समय चाहा। वास्ते बहस जरिये दिनांक 22/10/24 को पेश हो। [signature] उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	22/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु दि० 5/11/24 को पेश हो। [signature] उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	5/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार दर्ज रजिस्टर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप-खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:45:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 6/2014
निर्णय दिनांक : 04.11.2024

उनवान

1. छीतरमल उम्र 56 वर्ष पुत्र लाद्या उर्फ लादू जाति जाट निवासी ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील सागानेर जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. मनोज भार्गव पुत्र गिरधारीलाल भार्गव जानि ब्राहमण निवासी मकान नंबर 2521, कान महाजन का बड, पुरानी वस्ती चांदपोल बाजार जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
2. किशनलाल पुत्र सूरजनारायण दत्तक पुत्र ग्यारसीलाल जाति महाजन अग्रवाल निवासी अनाज मंडी चांदपोल बाजार बाहर जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
3. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत मोहनपुरा पंचायत समिति व तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 र.एल.आर.एक्ट विरूद्ध नामांतकरण संख्या 293 दिनांक 5.7.14 ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

निर्णय दिनांकः 04.11.2024

अपीलान्ट ने अपील अंतर्गत धारा 75 र.एल.आर.एक्ट विरूद्ध नामांतकरण संख्या 294 दिनांक 5.7.14 ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की पेश की जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि अपील नामातंकरण वादग्रस्त भूमि मुतालिक अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के न्यायालय मे दिनांक 5.3.13 को अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिये किशनलाल दत्तक पुत्र ग्यारसीलाल के विरूद्ध इस्तकरार हक व पाबंदी का दावा पेश कर रखा है जो वर्तमान स्वरूप मे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमे आगामी पेशी [illegible] 2014 मुकर्रर थी फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 को रेस्पोडेंट संख्या 2 ने प्रकरण की [illegible] एवं कार्यवाही की जानकारी होते हुये भी अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 608, 609/1568, 610, 611, 612, 613 किता 6 कुल रकबा 3.57 हैक्टेयर वाकै ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का विक्रय दिनांक 30.1.2014 को व 18. 6.2014 को कर दिया जिसके फलस्वरूप कब्जेदार अपीलांट को कोई सूचना न दी जाकर प्रश्नाधीन नामातंकरण दिनांक 5.7.14 को अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:45:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ग्राम पंचायत से तस्दीक करा लिया जो कतैय नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रश्नागत नामांतकरण तस्दीकी से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर लगभग 50 वर्षो से काबिज काश्त अपीलांट को सुनवाई का नोटिस न देकर जवाब देही का अवसर नही दिया जो प्राकृतिक न्याय के सुनवाई के सिंद्धांत के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पोडेंट संख्या 2 विक्रेता को उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के न्यायालय मे वादग्रस्त भूमि के मुतालिक वाद विचारण की जानकारी होने व कार्यवाही में भाग लेने के बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 2 ने उक्त खसरा नंबरान का बेचान करने में कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनाया है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नागत नामातंकरण तस्दीक करने मे भंयकर गलती की है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रश्नागत नामांतकरण तस्दीकी से पूर्व वादगस्त भूमि की वास्तविक स्थिति का जायजा लिये बगैर कब्जा किसका है की जानकारी लिये बगैर ही कब्जेदार अपीलांट को सूचित किये बगैर ही प्रश्नागत नामातंकरण तस्दीक करने मे भंयकर गलती की है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रश्नागत नामांतकरण तस्दीकी से पूर्व नामांतकरण तस्दीकी प्रक्रिया के नियमो का कतैय पालन नही नही किया इस लिहाज से प्रश्नाधीन नामातकरण निरस्तनीय हैं। प्रश्नगत नामातंकरण कतैय इलिगल एंड अगेनस्ट प्रिंसीपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस होने के कारण निरस्तनीय है।अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि बमंजूरे अपील अपीलांट नामांतकरण संख्या 294 दिनांक 5.7.14 ग्राम पंचायत मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित। तहत न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जवाब पेश नही।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली व तहत न्यायालय रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन करने व वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन करने पर हम इस निर्णय पर पहुंचे है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम[illegible], 611, 612, 613 कुल किता 6 कुल रकबा 3.57 है0 वाके ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:48:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

योडेन्ट संख्या 1 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2014 व 18.06.2024 को
पपंजीयक सांगानेर प्रथम सांगानेर में पंजी
द्व करवाया। विक्रय पत्र में कब्जा बाबत् स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त आराजी
र क्रेता को कब्जा सम्भलवाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट
ा कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 294 दिनांक 05.07.2014 को
स्दीक किये जाने में कोई गलती नही की गई है। अतः आदेश दिये जाते है कि अपील
पीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.09 12:45:55 IST
Reason: SelfAttested